

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, 5th June, 2020

G.S.R._(E)- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the **Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2020.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules), in rule 8, in sub-rule (4), in the second proviso,-

(i) for the letters, figures, brackets and words "GSR 180(E), dated 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion", the letters, figures, brackets, and words "G.S.R. 127(E), dated the 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade" shall be substituted;

(ii) for the words "five years" the words, "ten years" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (7), in clause (b), for sub-clause (v), following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(v) In case a company is covered in item (A) of sub-clause (iii) of clause (b) or item (B) of sub-clause (iv) of clause (b), it shall on or before the 30th day of April in each year, in respect of debentures issued by such a company, invest or deposit, as the case may be, a sum which shall not be less than fifteen percent., of the amount of its debentures maturing during the year, ending on the 31st day of March of the next year in any one or more methods of investments or deposits as provided in sub-clause (vi):

Provided that the amount remaining invested or deposited, as the case may be, shall not any time fall below fifteen percent. of the amount of the debentures maturing during the year ending on 31st day of March of that year".

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-IV]


K.V.R. Murty, Joint Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number GSR 574(E) dated the 16th August, 2019.

नई दिल्ली, 05 जून, 2020

सा.का.नि. ____ (अ) - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2020** है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप नियम (4) के दूसरे परंतुक में,-

(i) "औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी सा.का.नि. 180(अ) तारीख 17 फरवरी, 2016" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "उद्योग संवर्धन और आंतरिकत व्यापार विभाग द्वारा जारी सा.का.नि.127(अ) तारीख 19 फरवरी, 2019" रखे जाएंगे;


(ii) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (7) के खंड (ख) के उप-खंड (v) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"(v) यदि कोई कंपनी खंड (ख) के उपखंड (iii) की मद (क) या खंड (ख) के उपखंड (iv) की मद (ख) में कवर की जाती है, तो यह ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों के संबंध में, निवेशों या जमाओं की किसी एक या अधिक प्रणाली में, यथा उपखंड (vi) में उपबंधित, में अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले अपने डिबेंचरों की राशि के पन्द्रह प्रतिशत से जो कम न हो, की राशि को 30 अप्रैल वर्ष को या इससे पूर्व प्रत्येक में निवेश या जमा, जैसा भी मामला हो, करेगी;

परंतु कि निवेश या जमा की गई, जैसा भी मामला हो, बकाया राशि किसी भी समय उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले डिबेंचरों की राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

[फा.सं.01/04/2013-सीएल.V-पार्ट-IV]


05/6/2020

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.574(अ) तारीख 16 अगस्त, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे।